

9386 | 108 - 28/10/2023



कार्यालय
अधिष्ठासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (द्वितीय)
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०
57-जार्ज टाउन, प्रयागराज

फोन नं० - 0532-2256271
फैक्स नं० - 0532-2256271
ई-मेल :-
edd_2ald@yahoo.in

CIN-U31200UP2003SGC027461

पत्रांक : 1949

वि०वि०अं०द्वि०प्र०/

दिनांक : 04/3/2023

प्रेषक : श्री/श्रीमती

उपकेंद्र : एल.एस.ए.ए.

विषय :- निजी नलकूप तथा पंखा- बत्ती प्राप्त करने हेतु शर्त दशायें।

सेवा में

श्री जीतिन्द्र कुमार कुशवाहा आगत श्री वशीबाब
ग्राम- बोना डाकघर- भोतेडा ब्लाक- लेखाबाद जनपद-प्रयागराज
महोदय

आपके आवेदन पत्र दिनांक के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपको नलकूप के लिये
03 अश्वशक्ति तथा पंखा-बत्ती के लिये 120 वाट की स्वीकृति दिनांक को प्रदान कर दी
गयी है।

अतः कनेक्शन के सम्बन्ध में आपको निम्नलिखित शर्तें सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है:-

1. सर्विस कनेक्शन चार्जज रु० 2240=00
2. प्रतिभूति के रूप में निजी नलकूप रु० 900=00 पंखा-बत्ती रु० X कुल रु० 900=00
3. आपको नलकूप के कनेक्शन देने हेतु X रुपये का व्यय भार कारपोरेशन को वहन करना होगा, जबकि कारपोरेशन द्वारा इस माह से रुपये X की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः यदि आप बढ़ता रुपये को जमा कर देते हैं तो वह 05 वर्ष बाद एक साथ तथ अगले 10 छमाही किस्तों में 05 वर्षों में 06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वापस कर दिया जायेगा।
4. आपको कनेक्शन के लिये कारपोरेशन द्वारा निर्धारित 300 मीटर से अधिक लाइन पड़ने के कारण X रुपये अधिक धन जमा करना होगा, जो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
5. मीटर निरीक्षक शुल्क के शासकीय कोष में 043 विद्युत पर कर एवं शुल्क भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत शुल्क रुपये 300=00 जमा करना होगा।
6. आपको अपने कनेक्शन के लिये स्वयं सम्बन्धित 33/11के०वी० विद्युत उपस्थान X से अपने वाहन द्वारा सामान की दुलाई करना होगा। सामान दुलाई के साथ कारपोरेशन का चतुर्थ श्रमिक जायेगा तथा शीघ्र ही कार्य शुरू कर देगा।
7. आपको अपना पम्प हाउस बनाने हेतु आवश्यक ईट, बालू तथा सीमेन्ट का प्रबन्ध करना पड़ता है, अतः उसी में से उपयुक्त वस्तुओं की आवश्यक मात्रा अपनी लाइन एवं कनेक्शन हेतु ही देय होगी।
8. कनेक्शन हेतु लाइन व सब स्टेशन बनाने में जो मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी उसे भी आपको वहन (प्रबन्ध) करना पड़ेगा।
9. यदि आप द्वारा लगाया गया कोई भी प्रपत्र असत्य (जाली/कूट) पाया जाता है तो आपका संयोजन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

नोट :-

1. क्रम संख्या 6-7 तथा 8 के अन्तर्गत आपके द्वारा किये जाने वाले खर्च आपको इस्टीमेट से कम कर दिया जायेगा/गया है तथा यह शर्तें 180.00 रुपये प्रतिमीटर की दर से बढ़ा करके रु० 205.00 प्रति मीटर के दर से दी गई है।

फिक्स चार्ज- 1340=00

प्रतिभूति- 900=00

लाइन चार्ज-

सबस्टेशन चार्ज-

योग- 2240=00